
In the third session discussions were held on the future plans and programmes of Rachnatmak Shikshak Mandal. It was decided to hold the next workshop in Dehradun on Dec. 25-26, 2012

Total expenses of the Workshop was born by the

Teachers' contribution which was Rs. 25,000 only.

- Navendu mathpal

Convenor, Rachnatmak Shikshak Mandal, Uttarakhand

Mobile : 09410373108, e-mail : mathpal@gmail.com

(English Translation by Dr.V.N.Sharma)

Itarsi, May 21, 2012

The status of education: Challenges and solutions

Discussion hosted by Shiksha Adhikar Manch, Hoshangabad

Participants included students, teachers, social workers and public intellectuals.

Summary of lecture by Anil Sadgopal:

Until the Common School System (CSS) is instituted, public education will not improve. Until the commodification of education is stopped, the common school system will not be viable. By supporting the privatization of education, we are denying all of our children a meaningful/equitable and quality education. The 25% reservations provision will not meet the demand for education. An estimated 2.5 crore children enter primary school every year. The 25% reservations will only affect approximately 20 to 25 lakh fortunate children. What will happen to the rest?

Less than 5 % of schools in Canada are private. Public education is paid for by public resources and rich and poor children study in the same school. It is a decentralized system where the cost is borne by local government but they do not have control. In California, USA, schools with large numbers of poor children have larger budgets, more teachers, and more resources. It is the reverse in India where poor and disadvantaged children receive the worst education. In the

state of Madhya Pradesh, poor and Adivasi children are guaranteed to receive the lowest possible quality of education.

All persons receiving public resources (salary, profit) in any capacity should be required to send their children to government schools then government schools will improve.

The challenge is not implementation but the law itself. It is not possible and even dangerous to try to implement a flawed law. People need to be educated, mobilized and organized.

Comments by other speakers

Teacher union representative Rajiv Dube spoke about the deterioration of conditions in government schools. Rajiv Bamne from Khesla discussed the challenges starting from Class I to B. Ed programmes. Teacher Deepali Sharma shared that when she was in government school she studied with the children of judges and officers. The quality of education was such that nobody needed tuition.

-Rajesh Vyas

President, District Forum for Right To Education,
Hoshangabad

Translated from Hindi by Nisha Thapliyal
(nthapliyal74@gmail.com)

Bhopal, 19 May 2012

Right To Education, Order of the Supreme Court & Struggle for Common School System

Shiksha Adhikar Manch, Bhopal, All India Revolutionary Students' Organisation and Revolutionary Youth Federation of India organized a panel discussion on the Right To Education, Order of the Supreme Court & struggle for Common School System. The principal speakers included noted author Ms. Jyotsna Milan, (retd.) IAS officer Sri Sharad Chandra

Behar, well-known educationist and social activist Dr Anil Sadgopal, social worker Ms. Shivani Taneja, and RYI member Sri Vijay Kumar. The students, teachers and social activists of various educational and social organizations took part in the discussion.

Bhopal, June 11-16, 2012

Preparatory Workshop for 'Building Common School System & Abolishing Commercialization of Education

The State Platform for Common School System, Tamil Nadu and All India Forum for Right To Education will be holding a two-day All India Conference on 'Building Common School System & Abolishing Commercialization of Education' in Chennai on June 30-July 01, 2012. The preparatory workshop held in Bhopal on June 11-16, 2012 included participants from Lok Manch, Delhi, Basti Jan Sangathan, Bhopal, and Muskan. Cultural materials, plays and posters and related activities to be held in Chennai during the Conference were prepared with focus on the Right to Education and Common School System.

Translated from Hindi by Nisha Thapliyal (nthapliyal74@gmail.com)

कैसे सुधरे सरकारी स्कूल

अविचार्य और गुलत शिक्षा के लिए बने कानून (आरटीई) पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। सिर्फ इस संशोधन के साथ कि यह कानून नैर स्थायित्व प्राप्त अत्याधुनिक शिक्षण संघर्षों पर लागू नहीं होगा। इस सब के बाद भी क्या देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए मुलभ हो जाएगी? आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि ऐसा होना नहीं दिख रहा। कारण यह है कि अब भी 75 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं किन्तु सिस्टिम में सुधार के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा। निजी स्कूलों में तो सिर्फ 18 प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं। शेष अनुदानित स्कूलों में हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में अधिकतम वर्र के तिन बच्चों का दायित्व होना वह कुल बच्चों की संख्या का मात्र 5 से 6 प्रतिशत ही होगा। शेष बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही जाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्च यह है कि अधिकतर निजी स्कूल शहरी इलाकों में हैं। इनका हिस्सा ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 9.3 प्रतिशत ही है। ऐसे में यह तय है कि आरटीई के तहत अच्छे निजी स्कूलों में सिर्फ शहरी या बड़े कस्बों के बच्चों वर्र के बच्चों को ही प्रवेश मिल सकेगा। गांवों में तो 6 से 14 वर्ष के अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों के धरोरे ही रहेंगे।

ऐसे में जल्दी है कि उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माहौल तैयार किया जाए जहां बर्षा कक्ष नहीं होते। कक्ष हैं तो शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं है, शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं। यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। करोड़ों की संख्या में सरकारी स्कूलों का दर्जा एकसमान है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है कि सरकारी स्कूलों में प्रतिशिक्ष शिक्षक होने के बावजूद जहां शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों जैसा नहीं है। साथ ही न्यायालय ने सरकारों को इन सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने को भी कहा है।

कैसे सुधरे सरकारी स्कूलों की दशा

- सरकारी अधिकारी को और जम्हायरीधियों के लिए अजो बच्चों का दायित्व सरकारी स्कूलों में करना अधिकार हो।
- सरकारी स्कूलों को सज्ज, लौकचय, सजा कक्ष, कुर्सी-मेज जैसे बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण बनना जना।
- सरकारी स्कूलों में अनुदानित बच्चों के अनुसार शिक्षकों की संख्या तय की जाए और इन पदों को भरा जा।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वेतनवृद्धि को उन स्कूलों के बच्चों को पर्याप्तता से जौड बना।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों की तस्मा बढ़ाविते का सचवां जना, न ही उनको अस्वास्थ्य, फल पोषिको जैसे अधिकारों में लगाया जा। चरखाना भी सुधारा जा।

क्या निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने भर से देश में सभी को शिक्षा का लक्ष्य हासिल हो जाएगा? यदि नहीं, तब फिर क्या है इलाज? इलाज यही है कि देश के तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के जैसा बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि देश-प्रदेश के राजनेता और अपसरों के बेटे-बेटी कम से कम पांचवी कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ें।



शिक्षा का अधिकार: निजी स्कूलों में तो सिर्फ 18 प्रतिशत बच्चे ही पढ़ते हैं। शेष को सरकारी स्कूलों में ही जाना होता है, इसलिए सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जानी चाहिए।

स्कूलों की स्थिति

स्कूल का प्रकार	कुल संख्या में स्कूल	शिक्षकों में संख्या	प्रति स्कूल शिक्षक संख्या
सरकारी	80.2	75.4	3.9
अनुदानित	5.8	6.7	8.3
वैर अनुदानित, निजी	13.1	17.8	8.7

वर्ष 2007-08 में प्र एन उच्च प्र स्कूल 12,50,775

मध्य प्रदेश		राजस्थान	
निजी स्कूल	सरकारी स्कूल	निजी स्कूल	सरकारी स्कूल
22,568	48 लाख	34,207	42.60 लाख
वर्ष बच्चे	वर्ष जो दक्षिण से स्कूलों	वर्ष बच्चे	वर्ष जो दक्षिण से स्कूलों
12 लाख	12 लाख	10.6 लाख	10.6 लाख
सरकारी स्कूल	सरकारी स्कूल	72,437	72,437
वर्ष बच्चे	वर्ष बच्चे	80.02 लाख	80.02 लाख
1 करोड़ 7 लाख	1 करोड़ 7 लाख		

(संख्या को ले आता तक की संख्या) (संख्या को ले आता तक की संख्या)

यह भी कहा न्यायालय ने

सरकार और राजनीति विचारों को आरटीई की प्राव 19(3) का उल्लंघन करते हुए अब सभी सरकारी स्कूलों प्राव स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहां शैक्षणिक सुधारों के कारण बच्चों की संख्या है। यह कहने ही का ही पुरान है कि शिक्षा सार्वजनिक (पब्लिक) है। शिक्षा पद के मामले में तो सरकार को बताना है कि यदि शिक्षा सार्वजनिक है तो अजो बच्चा बच्चा को जहाँ से तो फिर वह अनुदानित या (11000) का सहाय नहीं ले सकते और यदि वह सार्वजनिक पर नहीं है तो फिर शिक्षा जहाँ के बच्चों को दक्षिण से पढ़े सके। पर स्कूलों है ?

शिक्षा पद और पौर इस्तेमाल के मामलों में सरकारों के निर्णय के साथ सरकार के निर्णय बरकरार रहेंगे, क्योंकि उन समय शिक्षा सार्वजनिक के अधिकार सुझाये, वह भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही बच्चों को वेतन में सहायता सुझाये होगा (वे में आरटीई के तहत निजी शिक्षा सार्वजनिक में 25 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश का प्रावना संशोधन किया जा देना है।

14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है। ऐसे में उसे किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं किया जा सकता। न ही उसे ही संशोधित करने जैसे कोई बर्षावर्ष होने चाहिए।

यदि स्कूलों के बच्चों को भी शैक्षणिक शिक्षा में लक्षित करने से ही सरकारों और राजनीति जगत का लक्ष्य लक्षित किया जा सकता है। यह न वेतन सहायता और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी शिक्षा सार्वजनिक को भी दिखाने की है।